संख्या-48/2023/1246/001-1246-10-2022-10(सेतु)/2022टी0सी0

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 07 फरवरी, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के 04 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के निम्नांकित पत्रों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें : -

क्रम सं0	पत्र संख्या एवं दिनांक
1	1332/प्रा0आगणन-अलीगढ़/गनेशपुर गोविन्दपु धर्मपुर/ सेतु-6/22-23 दिनांक 01.12.2022
2	1337/प्रा0आगणन-अलीगढ़/कीरतपुर/ सेतु-6/22-23 दिनांक 01.12.2022
3	1359/प्रा0आगणन-शामली/भैंसवाल/ सेतु-6/22-23 दिनांक 03.12.2022
4	1363/प्रा0आगणन-अलीगढ़/भूरा किशनगढ़ी/ सेतु-6/22-23 दिनांक 03.12.2022

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न जनपदों के 04 लघु सेतुओं का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार कुल लागत रू0 810.29 लाख (रूपये आठ करोड़ दस लाख उनतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान सं0-57/83 से कुल रू0 490.61 लाख (रूपये चार करोड़ नब्बे लाख इकसठ हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में श्री राज्यपाल निम्नलिखित तालिकानुसार व अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2022-2023 में आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनु0-57	अनु0-83	कुल योग (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अलीगढ़	जनपद अलीगढ़ में गनेशपुर गोविन्दपुर धर्मपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-4	208.21	82.03	22.08	104.11	लो0नि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2022-2023 में आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनु0-57	अनु0-83	कुल योग (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		से ग्राम विजय नगलिया के मध्य नीम नदी पर बॉक्स कल्वर्ट एवं पहुँच मार्ग का निर्माण					
2	अलीगढ़	जनपद अलीगढ़ में कीरतपुर करवन नदी पर लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य का प्रारम्भिक आगणन।	317.21	124.97	33.64	158.61	लो0नि0वि0
3	शामली	जनपद शामली में शामली भैंसवाल मार्ग के किमी0-04 में स्थित नाले पर आर0सी0सी0 लघु सेतु एवं पहुंचमार्ग का प्रारम्भिक आगणन।	120.25	75.80	20.40	96.20	लो0नि0वि0
4	अलीगढ़	जनपद अलीगढ़ में भूरा किशनगढ़ी एवं गिरधरपुर गि डयावली के मध्यजाफरी ड्रेन पर लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य का प्रारम्भिक आगणन।	164.62	103.76	27.93	131.69	लो0नि0वि0
		योग -	**810.29**	**386.56**	**104.05**	**490.61**	

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) **प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।**

(2) **कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।**

(3) **स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।**

(4) **प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है ।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट जमा की जायेगी ।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी ।

(9) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अत: भूमि का क्रय विभागाध्य द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

(11) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(13) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(16) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून,2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022 दिनांक-04 नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- **इस संबंध में होने वाला व्यय** (1) **रुपये** 3,86,56,000 (**रुपये तीन करोड़ छियासी लाख छप्पन हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010403 **ग्रामीण सेतुओं का निर्माण मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य** (2) **रुपये** 1,04,05,000 (**रुपये एक करोड़ चार लाख पांच हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892000 **ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य के नामे ड्डा जायेगा।**

3- **यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या** E-8-437-x-2022-23-**दिनांक**:13-1-2023 **मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-48/2023/1246/001-1246-10-2022-10(सेतु)/2022टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- **महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।**
2- **संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी ।**
3- **निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग ।**
4- **संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।**
5- **मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।**
6- **संबंधित कोषाधिकारी ।**
7- **वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।**
8- **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।**
9- **समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।**
10- **बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।**
11- **गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।